रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 207] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 18, 1972/चैत्र 29, 1894

No. 207] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 1972/CHAITRA 29, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 18th April 1972

S.O. 296(E)/15/IDRA/72.—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 77(E)/15/IDRA/72(3) dated the 31st January, 1972.

In the fifth paragraph of the said Order, for the words "Six weeks" the words "ten weeks" shall be substituted.

[No. 25(3)/72-PEC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1972

का० आ० 296(अ)/15/आई०डी०आर०ए०/72.—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 77(ई)/15/आई०डी०आर०ए०/72(3) तारीख 31 जनवरी, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के पांचवें पैरा में "6 सप्ताह" शब्दों के स्थान पर "10 सप्ताह" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० 25(3)/72-पी०ई०सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972